

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
15/24	इजराय	कोटडीसूण्डा	बारां
वादी	वादशीर्षक	प्रतिवादी	
जोधराज वगै०	बनाम	चम्पालाल वगै०	
वकील :-	श्री बाबूलाल जैन एड०	आदेश पत्रक	वकील:-
दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ	
22.08.2024	अभिभाषक डिक्रीदार द्वारा इजराय न्याया० में पेश की गई। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। यदि इस प्रकरण में किसी अन्य अपर कोर्ट से स्थगन आदेश न हा तो मुताबिक डिक्री पालना कर पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु तहसीलदार बारां को लिखा जावे। पत्रावली वास्ते पालना रिपोर्ट दिनांक 01.10.2024 को पेश हो।		
1-10-24	गोटासीन अधिकारी द्वारा पत्रावली में रहने से पूर्ववत दिनांक 20-10-24 को प्रस्तुत हो। रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां	8/10	
20/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील डिक्रीदार उपर तहसीलदार बांण से प्राप्त रिपोर्ट 24/11/2024 दि गरी। तहसीलदार बांण द्वारा कुछ डिक्री 01/11/24 दिनांक 26/06/2018 में बोलस गपु। उपर से आया है। उक्त में डिक्री प्रकार की कोर्ट कार्यवाही आ पाया कपे गरी वषे ही उक्त रिपोर्ट आया पाया है। पत्रावली फिलाल कुमार शेकर वाड तहसील तहसील के डाबिल पत्रावली से।		